

107

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2018/1980 विरुद्ध आदेश दिनांक 16.01.2018 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 160/अपील/2016-17.

डॉ. राजेश मलिक आ. स्व. जस्टिस श्री एम.एल. मलिक  
निवासी-E-1/2 अरेरा कॉलोनी, भोपाल

.....आवेदक

विरुद्ध

मनोज कुमार सिंह आ. श्री प्रिया कुमार सिंह.  
निवासी ग्राम गुरारी, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद

.....अनावेदक

श्री एन.एस. रूपराह, अभिभाषक, आवेदक  
श्रीमती संगीता वर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 16.01.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गुरारी स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 10/3 रकबा 6.163 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 66/2 रकबा 1.761 हैक्टेयर कुल रकबा 7.924 हैक्टेयर भूमि की मालिक स्वामी शकुनबाई पुत्री श्री प्यारेलाल थी, उनकी मृत्यु दिनांक 05.09.2006 को हो चुकी है। राजस्व दस्तावेजों में शकुनबाई का नाम भूमिस्वामी के रूप में वर्ष 1988 तक दर्ज रहा है तथा दिनांक 05.08.1988 को आवेदक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर शकुनबाई के स्थान पर प्रश्नाधीन कृषि भूमि पर स्वयं का नाम दर्ज किये





जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। संशोधन पंजी क्रमांक 43 दिनांक 05.08.1988 को आवेदक का नाम उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज किया गया। शासकीय अभिलेख में उल्लेखित इन्द्राज निरस्त कराने के लिए उत्तरदायी श्री मनोज कुमार के द्वारा संहिता की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर तहसीलदार, पिपरिया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों सहित प्रकरण पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दिनांक 12.06.2014 को प्रकरण के पुनर्विलोकन की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनर्विलोकन में लिया जाकर सुनवाई प्रारंभ की गई और दिनांक 15.07.2014 को आदेश पारित करते हुए राजस्व दस्तावेजों को पूर्व की स्थिति में लाये जाने का आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किये जाने पर आवेदक द्वारा स्वमेव निगरानी आवेदन आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने पर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्र. 05/स्वमेव निगरानी/2014-15 दर्ज किया जाकर दिनांक 17.12.2015 को आदेश पारित किये कि संहिता की धारा 50 के संशोधित नियम 2011 के अनुसार संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका (स्वप्रेरणा) सुनवाई हेतु क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल, ग्वालियर को प्रदत्त किये गये हैं। उपरोक्त स्थिति में आवेदकगण राजस्व मण्डल के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, संबंधी निर्देश प्रसारित कर प्रकरण समाप्त किया गया। आयुक्त के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक राजेश मलिक ने माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष दायर रिट याचिका क्रमांक 2257/2016 से चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26.10.2016 अनुसार प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश के पालन में आवेदक द्वारा दिनांक 26.03.2017 को प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.07.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 20/अपील/2016-17 दर्ज कर दिनांक 09.06.2017 को आदेश पारित कर अपील सारहीन होने से निरस्त की गई, जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 16.01.2018 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-



- (1) आवेदक के पक्ष में किये गये नामांतरण की दिनांक 05.08.1988 है, इस न्यायालय का पुनर्विलोकन करने के आदेश तात्कालिक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र एक ही दिवस में दे दिया गया, न तो कोई सूचना पत्र जारी किया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः नामांतरण दिनांक 05.08.1988 का 26 वर्षों बाद प्रस्तुत आवेदन के आधार पर संशोधन किया जाना त्रुटिपूर्ण है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 15.07.2014 निरस्त करने योग्य है। पूर्व में भी इन्हीं कारणों से आयुक्त ने प्रभावित होकर आदेश दिनांक 17.12.2015 पारित किया था। स्पष्ट है कि तात्कालिक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति दिनांक 12.06.2014 गलत है। इस बारे में म.प्र. उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत अशोक कुमार विरुद्ध पारवती बाई 2009 (1) एम.पी.एल.जे. 446 प्रस्तुत किया गया है।
- (2) अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह लिखा है कि आदेश दिनांक 15.07.2014 पारित करने से पहले तहसीलदार ने पुनर्विलोकन की अनुमति (तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी से) दिनांक 12.06.2014 (sic 12.07.2014) को प्राप्त की थी और इस आदेश को आवेदन ने चुनौती नहीं दी, अतः वह आदेश अंतिम हो गया है। ऐसी स्थिति में केवल तहसीलदार के अंतिम आदेश दिनांक 15.07.2014 को चुनौती देना विधिसंगत नहीं है (जब तक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2014 को चुनौतित नहीं किया जाता)। आलोच्य आदेश में वर्णित यह टिप्पणी एकदम गलत है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेशित किया गया है कि तात्कालिक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति दिनांक 12.07.2014 से माननीय महोदय प्रभावित नहीं होंगे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति दिनांक 12.07.2014 को दी गई थी, न कि 12.06.2014 को। आलोच्य आदेश में तारीख का गलत लिखना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का उचित अवलोकन न करना परिलक्षित करता है, परंतु आयुक्त ने आलोच्य आदेश में इस महत्वपूर्ण खामी पर विचार नहीं किया।
- (3) प्रश्नाधीन भूमि की असली मालिक श्रीमती शकुन बाई ने कभी भी नामांतरण दिनांक 05.08.1988 को निरस्त करने का आवेदन नहीं दिया एवं अनावेदक को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस प्रकार का आवेदन देवे। इस संबंध में 1995 supp 2 SCC 128 Rama Dubey Vs. Deputy director of Consolidation का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। उक्त आधार को स्पष्ट रूप से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उठाया गया था, जिस पर विचार न कर उन्होंने गंभीर कानूनी भूल की है।
- (4) अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि एक ही दिन में तामीली अंकित कर दी गई। तामीली रिपोर्ट भी नहीं आई और यह लिखकर आया कि आवेदक ग्राम गुरारी में नहीं रहता,



अगर ऐसी बात थी तो आवेदक का सही पता जानने के लिए अनावेदक ने कोई कष्ट नहीं किया और इसकी इस घोर लापरवाही की अधीनस्थ न्यायालय ने कोई भी आपत्ति नहीं ली। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी नहीं देखा कि अनावेदक ने समाचार पत्र में भी नोटिस छपवाने की कोई कार्यवाही नहीं की, परंतु इन सबके बावजूद अनावेदक ने न्यायालय से पूर्ण अनुतोष पा लिया। आयुक्त ने उपरोक्त परिस्थिति को मात्र एक लाईन में ही बिना विचार किये निरस्त कर घोर कानूनी भूल की है।

(5) नामांतरण दिनांक 05.08.1988 में किसके हस्ताक्षर थे एवं किसके नहीं इसका अवलोकन 26 वर्षों बाद नहीं किया जा सकता। खासकर जब शकुनबाई द्वारा ही कोई आपत्ति नहीं ली गई है। आवेदक का कहना है कि संशोधन पूर्ण रूप से कानून अनुसार हुआ था। आवेदक को ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं दिखाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि संशोधन में शकुन के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह तथ्य सिर्फ अनावेदक द्वारा कहा गया एवं न्यायालय ने माना और इसकी पुष्टि किसी दस्तावेज द्वारा नहीं हुए न ही ऐसा कोई दस्तावेज आवेदक को दिखाया गया। इस मुद्दे को भी आयुक्त ने आलोच्य आदेश में विचार न कर घोर कानूनी त्रुटि की है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने तथा आवेदक के पक्ष में किया गया नामांतरण आदेश दिनांक 05.08.1988 यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

- (1) The land in question is admittedly recorded in the name of owner of land, the sister on Non applicant's father and non applicant is looking after the said land under valid authority and is in actual physical possession cultivating the same for last more than 40 years.
- (2) The case of applicant is that, in a oral family settlement he received the disputed land form owner of land and order dated 05.08.1988 was passed in his favour mutating his name in the revenue records and therefore the same can not be questioned after lapse of 26 years by Non applicant. Further application has also contended that he was not served with notice by the order dated 12.06.2014.
- (3) Right from the Court of Tahsildar till the Court below that is the Court of Commissioner, it has been concluded that the land in question is originally held by owner of land and petitioner is not a family member of owner of land therefore the



basis on which name of petitioner was entered illegally in violation of section 178-A of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 wherein the holder in his lifetime can settle his property in favour of his legal heirs and therefore the appellant being the member of Punjai Caste cannot become part of family settlement as being canvassed by appellant therefore the entry made in 1988 in favour of petitioner is void ab initio and hence the correction made by Tahsildar on the application of respondent Manoj Kumar Singh, nephew of owner of land and in possession of the land since last more than forty years, was merely removal of an illegality committed by misrepresentation and also by fraud being played by petitioner and therefore there is no question of any illegality in the order passed by tahsildar confirmed by SDO and further affirmed by Commissioner do not require any interference being finding the fact and no substantial question of law involved for calling any interference.


- (4) So far as opportunity of hearing is concerned it is a settled principle of law that an encroacher has no right to question the action of Government for removing the same without hearing however in the present case petitioner was served with notice on an address given by petitioner while seeking mutation of the name by false and illegal family settlement.
- (5) In the above circumstances scope of revision under section 50 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 is not at all attracted firstly on the facts all the three courts below have given a finding that petitioner was served with notice and petitioner is not a family member of the holder of land therefore there is no question of family settlement in his favour as stated by Apex Court in catena of judgments petitioners right, hence does not arise as he belongs to a different caste from the caste of holder of plaintiff and hence question of opportunity of hearing was given to petitioner and secondly a non-est order can be corrected at any point of time when the same came to the knowledge of respondent/holder of land as stated by apex court in the case reported in number of judgments which will be submitted by non applicant and lastly not a single document or evidence till date even from when petitioner has been pursuing the remedy assailing the order against petitioner in this matter to demonstrate that holder of land have ever transferred, settled or part with in any manner what so ever recognized under law worth more than 100 rupees which requires necessary registration under registration act.



अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार ने पूर्व में आवेदक के पक्ष में हुए नामांतरण को पुनर्विलोकन की अनुमति लेकर पुनर्विलोकन कर नामांतरण निरस्त किया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि न तो पुनर्विलोकन की अनुमति देते समय अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को सुना और न ही पुनः आदेश पारित करते समय आवेदक को सुना गया। जो नोटिस जारी हुआ था, उस पर यह पृष्ठांकन होने के बाद भी कि आवेदक उक्त पते पर नहीं रहते, एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में तहसीलदार ने मूल भूमिस्वामी के वारिसों की जानकारी लेकर उन्हें नोटिस जारी करने का भी प्रयास नहीं किया, जबकि पुनर्विलोकन करने की स्थिति में उनका सभी को सुनने का दायित्व था। उल्लेखनीय है कि अनावेदक ने किसी भी स्तर पर स्वयं को मूल भूमिस्वामी का केवल पारिवारिक सदस्य ही बताया है, एकमात्र वैधानिक वारिस नहीं कहा है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण में आवेदक तथा मूल भूमिस्वामी के सभी वैधानिक वारिसों को सुनकर पुनः आदेश पारित किया जावे। फलतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2018, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2014 निरस्त किये जाते हैं। उपरोक्त विश्लेषण के तारतम्य में प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए तहसीलदार की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर